छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 146/2007</u>

श्री खम्हन लाल चन्द्राकर,
सहायक प्राध्यापक,
पुरानी बस्ती, जगनाथी चौक,
कुर्मी पारा, महासमुन्द,
जिला–महासमुंद(छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
प्राचार्य,
शांतिबाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान
महाविद्यालय, महासमुंद (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 03 जुलाई 2007)

श्री खम्हन लाल चन्द्राकर निवासी–महासमुंद के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी खम्हन लाल चन्द्राकर ने प्राचार्य, शांतिबाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद से पत्र दिनांक 18–10–2006 के द्वारा 18 बिन्दुओं पर जानकारी चाही, जिसमें वर्ष 1993 से कार्यरत सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति, उनकी सेवा पुस्तिका, उनके वेतन, परीविक्षा अवधि, दिये गये मासिक वेतन आदि की जानकारी चाही गई। जानकारी प्राप्त न होने पर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्राचार्य, शांतिबाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद को पत्र दिनांक 23–01–2007 के द्वारा निर्देशित किया कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी दी जावे। जानकारी नहीं दिये जाने के कारण अपीलार्थी ने द्वितीय अपील प्रस्तुत की। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस दिये गये। निर्धारित अवधि में तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश के बाद भी जानकारी न दिये जाने के कारण आयोग ने जन सूचना अधिकारी प्राचार्य, शांतिबाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद को अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया कि क्यों न 20,000/– रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। प्राचार्य के द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राचार्य के द्वारा यह बतलाया गया कि महाविद्यालय को शासन की ओर से कोई नियमित अनुदान प्राप्त नहीं होता है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 प्रभावशील नहीं होता है। इस संबंध में जानकारी लिये जाने पर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश दिनांक 18 जनवरी 2006 के अनुसार उक्त महाविद्यालय को वर्ष 2005–2006 में 2.00 लाख रुपये (रुपये दो लाख) का तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया गया है। प्राचार्य के द्वारा भी बहस के समय यह

स्वीकार किया गया कि महाविद्यालय को 2.00 लाख रुपये का तदर्थ अनुदान वर्ष 2005–2006 में प्राप्त हुआ है।

3/ प्रकरण में दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर आयोग के द्वारा विचार किया गया। राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–7–6/05/1/6 दिनांक 21 नवम्बर 2005 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी घोषित किये गये हैं, जिसमें ऐसे समस्त स्वयंसेवी संस्थायें जो पिछले वर्ष शासन से रुपये 2.00 लाख या अपने टर्न ओवर का 25 प्रतिशत इसमें जो कम हो अनुदान लिया हो, उन्हें लोक प्राधिकारी माना गया है। अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत ऐसे लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार आवेदक को है। अतः प्राचार्य का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि उक्त महाविद्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जानकारी देने के लिये बाध्य नहीं है।

4/ प्राचार्य ने बतलाया कि उनके द्वारा आवेदक को समस्त जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करा दी है। आयोग के समक्ष भी अपीलार्थी को कुछ जानकारी प्रदान कराई गई। अपीलार्थी का यह तर्क था कि उसे वांछित पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है। प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि प्राचार्य के द्वारा अपीलार्थी को जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का उद्देश्य नहीं रहा है। प्राचार्य के द्वारा विलम्ब से जानकारी देने का मुख्य कारण अधिनियम को उनकी संस्था पर प्रभावशील न होने की मान्यता रही है। चूँकि जानकारी विलम्ब से द्वेषवश अथवा जानबूझकर नहीं देने का आरोप प्रमाणित नहीं है, अतः प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, प्राचार्य, शांतिबाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद को जारी किया गया अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। प्रतिअपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि चूँकि अपीलार्थी को पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, अतः उसे आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर शेष जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

5/ उपरोक्त निर्देशों सहित अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त